न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 43/2017

1. सुमेर सिंह
2. अजीत सिंह
3. भागीरथ सिंह पुत्रगण मून सिंह उर्फ मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
4. छेल सिंह पुत्र अगर सिंह जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
5. सुशील कंवर पत्नी अगर सिंह जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
6. लाड कंवर पत्नी स्व0 मून सिंह उर्फ मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

...............प्रार्थीगण

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. लिछमण सिंह
2. शिवलाल सिंह
3. किशोर सिंह
4. पदम सिंह
5. हनुमान सिंह
6. भींव सिंह पुत्रगण चुन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
7. सोन कंवर बेवाह गोर सिंह
8. महावीर सिंह
9. एडीसाल सिंह
10. शायर सिंह पुत्रगण गोर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
11. प्रेम कंवर पुत्री गोर सिंह जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर
12. भवानी सिंह
13. विक्रम सिंह
14. दिलीप सिंह पुत्रगण राम सिंह जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडख़ानी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
15. मोहन कंवर पत्नी स्व0 राम सिंह जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
16. सदा कंवर बेवाह मूल सिंह जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर
17. भंवर सिंह
18. जेठू सिंह
19. जितेन्द्र सिंह
20. पवन सिंह पुत्रगण मूल सिंह जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर
21. रामस्वरूप सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी दीनवा लाडखानी तहसील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 रा.का.अधिनियम व सहपठित धारा 151 जा.दि.

...उपस्थित अधिवक्ताः–
...मोन सिंह – प्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः–16.01.19

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ...भूमि खसरा नम्बर 83/294 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता बराबर 3.8900हैक्टर जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 229 रकबा 0.3000हैक्टर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.0200हैक्टर खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0100हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.5200हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.0300हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 1.0100हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.8900हैक्टर वाके ग्राम दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित है।

भूमि खसरा नम्बर 83/294 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता वाके ग्राम दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर में से रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता बराबर 3.131हैक्टर भूमि भाग की एकान्तिक काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण का पूर्वज मूनसिंह था तथा अब उक्त रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता में से रकबा 3 बीघा पुख्ता बराबर 0.759हैक्टर का पूर्व में काबिज खातेदार, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के पूर्वज गणपतसिंह व चून सिंह थे अब उक्त रकबा 0.79हैक्टर के काबिज खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 है।

भूमि खसरा नम्बर 83/294 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता बराबर 3.8900हैक्टर जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 229 रकबा 0.3000हैक्टर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.0200हैक्टर खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0100हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.5200हैक्टर, खसरा नम्बर ...34 रकबा 1.0300हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 1.0100हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3. ...900हैक्टर वाके ग्राम दीनवा लाडखानी में से रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा बराबर 3.131 हैक्टर ...ा पूर्व में काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण का पूर्वज मून सिंह था जिसको उक्त भूमियों ...ी खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय ही हासिल हो चुकी थी ...जस्व रिकार्ड में भी 12 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी व कब्जा काश्त स्वर्गीय मून सिंह का ही ...धिवत दर्ज है। स्व0 मून सिंह के एकमात्र वैध वारिस प्रार्थीगण है व उक्त भूमियों के ...स्तविक काबिज काश्तकार प्रार्थीगण स्व0 मून सिंह के जीवनकाल से ही निरन्तर निर्बाध रूप ...साधिकार चले आ रहे है और अब भी प्रार्थीगण का ही कब्जा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

भूमि खसरा नम्बर 83/294 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 229 रकबा 0.3000हैक्टर, ...सरा नम्बर 230 रकबा 0.0200हैक्टर खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0100हैक्टर, खसरा नम्बर ...2 रकबा 1.5200हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.0300हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 1. ...00हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.8900हैक्टर में से रकबा 3.131हैक्टर में प्रार्थी संख्या 1 ... 1/5हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा , प्रार्थी ...ख्या 4 व 5 का 1/5 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 6का 1/5 हिस्सा भूमि भाग है और इसी ...र उनका कब्जा काश्त है।

भूमि खसरा नम्बर 83/294 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 229 रकबा 0.3000हैक्टर

...न पर भी उक्त भूमियों की खातेदारी सर्वथा गलत व अवैध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 ता 22 ...के पूर्वजों के नाम बिना किसी आदेश व अधिकार के दर्ज कर दी गई जो खातेदारी सर्वथा ...लत व अवैध तथा मौके की स्थिति से सर्वथा विपरीत होने से प्रार्थीगण अपने हक अधिकार ...व कब्जे के रकबा 3.131 हैक्टर की अप्रार्थी संख्या 1 ता 22 के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त करवाने के अधिकारी है।

उक्त भूमि खसरा नम्बर 83/294 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 229 रकबा 0. 3000हैक्टर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.0200हैक्टर खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0100हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.5200हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.0300हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 1.0100हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.8900हैक्टर में से रकबा 3.131हैक्टर हमेशा से प्रार्थीगण के पूर्वज मून सिंह के एकान्तिक हक अधिकार व कब्जे काश्त तथा खातेदारी की होने तथा उनके नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन होने तथा पहले सव0 मून सिंह व अब प्रार्थीगण का एकान्तिक कब्जा काश्त होने व प्रार्थीगण मून सिंह के एकमात्र उत्तराधिकारी होने से प्रार्थीगण उक्त 3.131हैक्टर की खातेदारी अपने नाम उदघोषित करवाने तथा खाता बनाम अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 22 प्रार्थीगण उक्त भूमि 3.131हैक्टर की हद तक निरस्त करवाने के अधिकारी है।

उक्त भूमि खसरा नम्बर 83/294 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 229 रकबा 0. 3000हैक्टर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.0200हैक्टर खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0100हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.5200हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.0300हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 1.0100हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.8900हैक्टर में से पूर्वी ओर का 3. 131हैक्टर भूमि भाग प्रार्थीगण हमेशा से अलग से काश्त करते हैं तथा पश्चिमी ओर का रकबा 0.759 हैक्टर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 अलग से काश्त करते हैं और अलग से उनकी मेड़बन्दी सीमा, तारबन्दी बनी हुई है। किन्तु खातेदारी सम्मिलित होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी होती है अतः वे अब उक्त भूमियों को शामिल शरीक नहीं रखना चाहते है और वे अपने भौतिक कब्जे काश्त अनसार विभाजन करवाकर खाता व लगान अलग निर्धारित करवाना चाहते हैं बाहमी विभाजन अनुसार प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 235 का सम्पूर्ण रकबा 1.01हैक्टर, खसरा नम्बर 234 का सम्पूर्ण रकबा 1.03हैक्टर, खसरा नम्बर 232 का पूर्वी ओर का रकबा 1. 091हैक्टर भूमि भाग का खाता व लगान प्रार्थीगण अकेलों के नाम निर्धारित किया जावे तथा खसरा नम्बर 229 का सम्पूर्ण रकबा 0.0300हैक्टर, खसरा नम्बर 230 का सम्पूर्ण रकबा 0. 0200हैक्टर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0100हैक्टर व खसरा नम्बर 232 में से पश्चिमी ओर का रकबा 0.4290हैक्टर का खाता व लगान अकेले अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम निर्धारित किया जावे।

अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की उक्त भूमियों के रकबा 3.131हैक्टर से कोई सम्बन्ध सरोकार किसी भी प्रकार से नहीं होने पर भी अप्रार्थीगण उनके नाम पर बनी गलत खातेदारी के आधार पर वे प्रार्थीगण के उक्त भूमियों के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल देने दिलाने को तथा उक्त भूमियों का विक्रय अथवा अन्यथा अन्तरण करने करवाने को 15 दिन से तत्पर हैं जिसका कोई हक अधिकार उन्हें कतई ही नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उक्त भूमियों के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखल देने दिलाने से व उक्त भूमियों का विक्रय अथवा अन्यथा अन्तरण करने करवाने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित करवाने के अधिकारी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 229 रकबा 0.3000हैक्टर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.0200हैक्टर खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0100हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.5200हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.0300हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 1.0100हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.8900हैक्टर वाके ग्राम दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर जिसका पूर्व में खसरा नम्बर 83/294 था के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखल देने दिलाने से उक्त भूमियों का विक्रय, अंतरण , रहन आदि करने करवाने से मय अपने परिजन, प्रतिनिधी नौकर, एजेन्ट बाज रहें।

मिसल मूर्तिव की जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 24 बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया एवं बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया गया। चूंकि पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतित होते है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 24 को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 83/294 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता बराबर 3.8900हैक्टर जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 229 रकबा 0.3000हैक्टर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.0200हैक्टर खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0100हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.5200हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.0300हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 1.0100हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.8900हैक्टर वाके ग्राम दीनवा लाडखानी तहसील फतेहपुर के मौके व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति को परिवर्तित नहीं करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर, सीकर

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official